फार्म म. प्र. वि. स. 20

[देखिये नियम 266 (4)]

प्रतिभूति-पत्र

इस लेखा द्वारा सर्वसाधारण को विदित हो कि मैं, ... पिता का नाम ..... निवास स्थान ..... तहसील ..... जिला ..... जो कि फिलहाल ..... में स्थायी ..... के पद पर नियोजित हूं (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया है) मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इनके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है), के प्रति उन्हें ..... रु. (शब्दों में ..... रु. केवल) की राशि का भुगतान करने के लिये दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं और जिसका भुगतान ठीक-ठीक और सही रूप में करने के लिये इस लेख द्वारा मैं स्वयं को, अपने वारिसों, निष्पादकों-प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों को दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं। इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर मैंने आज तारीख ..... माह ..... सन् उन्नीस सौ ..... को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

चूंकि, श्री ..... पिता का नाम ..... निवास स्थान ..... तहसील ..... जिला ..... को फिलहाल में अस्थायी ..... के पद पर नियोजित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उधारग्रहीता कहा गया है) को उनके स्वयं के निवेदन पर राज्यपाल द्वारा ..... के लिये ..... रु. (शब्दों में ..... रु. केवल) का अग्रिम मंजूर किया गया है।

और चूंकि, उधारग्रहीता ने उक्त रकम का भुगतान ..... रु. (शब्दों में ..... रु. केवल) प्रतिशत प्रतिवर्ष (ब्याज सहित) ..... समान मासिक किस्तों में करना स्वीकार किया है।

और चूंकि, उधारग्रहीता को पूर्वोक्त अग्रिम मंजूर करने के लिये राज्यपाल के सहमत हो जाने के प्रतिफलस्वरूप प्रतिभू ऐसी शर्तों पर जो नीचे दी गई हैं, उपर्युक्त बंधपत्र निष्पादित करने के लिये सहमत हो गया है।

अतएव, अब इस बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उधारग्रहीता उक्त अवधि ..... में उसके नियोजित रहने के दौरान, राज्यपाल को देय पूर्वोक्त अग्रिम की रकम का भुगतान राज्यपाल को मासिक किस्तों द्वारा उचित रूप से तथा नियमित रूप से तब तक करे या करवायें जब तक कि ..... रु. (शब्दों में ..... रु. केवल) उक्त राशि (ब्याज सहित) भुगतान यथोचित, रूप से न हो जाये, तो उस स्थिति में यह बंध पत्र शून्य हो जायेगा अन्यथा वह पूर्णत: प्रभावी और प्रवर्तनीय होगा और रहेगा।

किन्तु फिर भी यदि उधारग्रहीता की मृत्यु हो जाय यह शोधाक्षम हो जाय या वह किसी समय राज्यपाल की सेवा में न रहे तो ..... रु. (शब्दों में ..... रु. केवल) (ब्याज सहित) की उक्त मूलधन की सम्पूर्ण रकम या बकाया रकम जो उस समय भुगतान हेतु शेष रही, तो तत्काल शोध्य और राज्यपाल को देय हो जायगी और वह इस बंधपत्र के आधार पर प्रतिभूति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में एक किस्त में वसूल की जायगी।

राज्यपाल द्वारा उधारग्रहीता को अधिक समय दिया जाने या उस पर कोई अन्य अनुग्रह किया जाने पर भी प्रतिभू द्वारा ग्रहण की गई बाध्यता अन्मोचित नहीं होगी, अथवा उस पर किसी भी रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्यपाल, इस दस्तावेज के लिए मूद्रांक शुल्क यदि कोई हो, वहन करने हेतु सहमत है।

उक्त प्रतिभूति ..... द्वारा स्थान ..... में आज तारीख .....
माह ..... दो हजार ..... को हस्ताक्षर किये गये और सौंपा गया

.....
(प्रतिभू के हस्ताक्षर)
(पदनाम) .....
(कार्यालय, जिससे वह संलग्न है) .....

निम्नलिखित की उपस्थिति में :—

साक्षियों के हस्ताक्षर, पते और व्यवसाय :—

(1) .....

(2) .....

अनुप्रमाणित
(राजपत्रित अधिकारी)

शाकेमुभो—1—अससाप्रविभो—3-4-2001—10,000.